



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082026-275829
CG-DL-E-27082026-275829

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4591]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 2026/भाद्र 5, 1948

No. 4591]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 2026/BHADRA 5, 1948

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

परिशिष्ट

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2026

का.आ. 4776(अ).— भारत के असाधारण, राजपत्र में प्रकाशित, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश संख्या 1584 (अ) दिनांक 25 मार्च 2026, 2682 (अ) दिनांक 27 मई 2026 और 3714 (अ) दिनांक 8 जुलाई 2026 जो कि रिंगर लैक्टेट (विशेष सुविधाओं के साथ नॉन-ग्लास) के अनुसूचित फॉर्म्युलेशन पैक्स के अधिकतम मूल्य निर्धारण से संबंधित है को अब से निम्नलिखित जोड़कर पढ़ा जाये:

(1) क्र. संख्या 32 को सारणी 'ख' में निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

क्र.सं	विनिर्माताओं का नाम	उत्पाद/ब्रांड का नाम
(1)	(2)	(3)
32.	मेसर्स सिलिका हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड (नीचे नोट इ2)	यूरो हेड/ यूरो हेड डुअल पोर्ट

(2) खंड (ड 2), को खंड (ड 1) के बाद जोड़ा गया है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

“(ड 2) सारणी 'ख' की क्रमांक संख्या 32 में उल्लिखित मेसर्स सिलिका हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, सारणी 'क' की केवल क्रमांक संख्या 3 में निर्दिष्ट फॉर्मूलेशन की कीमतें लागू होती हैं।

[का.सं./282/150/2026/एफ़ / फा.सं. 8(150)/2026/डीपी/एनपीपीए-डिवी-II]

भीवा राम यादव, सहायक निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

ADDENDUM

New Delhi, the 27th August, 2026

S.O. 4776(E).— The National Pharmaceutical Pricing Authority's Order No. 1584(E) dated 25th March 2026, 2682(E) dated 27th May 2026 and 3714(E) dated 8th July 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, related to ceiling price fixation of scheduled formulation packs of Ringer Lactate (non-Glass with special features) is henceforth to be read with the following additions:

(1) Sl. No. 32 shall be added in Table 'B' as below:

Sl. No.	Name of Manufacturer	Product/ Brand Name
(1)	(2)	(3)
32.	M/s Silica Healthcare Pvt. Ltd. (note e2 below)	Euro Head/ Euro Head Dual Port

(2) Clause (e2) is added after clause (e1) & shall be read as follows:

“(e2) In case of M/s Silica Healthcare Pvt. Ltd. mentioned in Sl. No. 32 of Table B, only the price of the formulation specified at Sl. No. 3 of Table A is applicable”.

[PN/282/150/2026/F /F. No. 8(150)/2026/D.P./NPPA-Div.-II]

BHIVA RAM YADAV, Assistant Director